रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2003/चैत्र 11, 1925
No. 160] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2003/CHAITRA 11, 1925

## पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2003

**सा.का.नि. 295(अ).**— केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम,1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम,2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम,1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में:

(1) खंड (क क) का लोप किया जाएगा,

(2) इस प्रकार लोप किए गए खंड के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

"(क ख) "कोल बेड मिथेन" कोल या लिग्नाइट में पाए जाने वाले बोर छिद्रों से अभिप्राप्त और मूलतः हाइड्रोकार्बनयुक्त प्राकृतिक गैस अभिप्रेत है।

(क ग) ''संघनित से संघनन या निष्कर्षण के माध्यम से प्राकृतिक गैस से अभिप्राप्त कम वाष्प दाब के हाइड्रोकार्बन, जो सामान्य सतही ताप और दाब की दशाओं में तरल रूप मे है, अभिप्रेत है।

(क घ) ''महाद्वीपीय मग्नतट भूमि'' का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित, राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 में उसका है।

(क ङ) ''संविदा'' से संगत क्षेत्र के लिए हाइड्रोकार्बन और/या कोल बेड मिथेन की खोज और उसके संदोहन के संबंध में, भारत सरकार और किसी अन्य पक्षकार के बीच किया गया करार'' अभिप्रेत है।'',

(3) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

''(ख) ''अपरिष्कृत तेल'' से परिष्कृत या अन्यथा अभिक्रियित करने से पूर्व द्रव विस्कोस या ठोस रूप में अपनी प्राकृतिक स्थिति में पेट्रोलियम अभिप्रेत है, जिससे जल और विजातीय पदार्थ निकाल दिए गए हों''

(4) खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(ग क) ''अनन्य आर्थिक क्षेत्र'' का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 में उसका है।''

(5) खंड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(ङ क) ''गैस हाइड्रेट्स'' से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल अणुओं से संघटित ठोस'', जो पंजरों के मजबूत जालक बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में प्राकृतिक गैस के अणु अंतर्विष्ट हों, अभिप्रेत हैं।

(6) खंड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(छ क) 'हाइड्रोकार्बन', से हाइड्रोजन और कार्बन का कोई कार्बनिक यौगिक'' अभिप्रेत है।

(7) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

''(1) ''प्राकृतिक गैस'' या ''गैस'' से बोर छिद्रों से अभिप्राप्त और मूलतः हाइड्रोकार्बन युक्त गैस अभिप्रेत है, इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बनों के साथ प्राप्त हेलियम शामिल नहीं है'।

(8) खंड (थ थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(थ थ) "राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड" का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 में उसका है।"

3. उक्त नियमों में नियम 5 के उप-नियम (1) के खंड (1) में "राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड या "महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, शब्दों के पश्चात "या अनन्य आर्थिक क्षेत्र" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 6 के उप-नियम (1) में:-

(1) खंड (1) में "10,000/-रुपए (दस हजार रुपए)" अंक और शब्द के स्थान पर 25,000/-रुपए (पच्चीस हजार रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(2) खंड (2) में "25,000/-रुपए (पच्चीस हजार रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक के स्थान पर 50,000/-रुपए (पचास हजार रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 7 में:-

(1) खंड (1) में "भूमि" शब्द के स्थान पर "क्षेत्र" शब्द रखा जाएगा।

(2) खंड (2) में "भूमि" शब्द के स्थान पर "क्षेत्र" शब्द रखा जाएगा।

(3) उप-नियम (2) में "संयंत्र" शब्द और "उपस्कर" शब्द के पश्चात, क्रमशः "प्लेटफार्म" शब्द और "और अन्य सुविधाएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 10 में "प्रत्येक एक वर्ष" शब्द के पश्चात "करार के अधीन दी गई अन्वेषण अवधि (अवधियों) की समाप्ति तक, यदि कोई हो, या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट" न हो, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 11 में:-

(1) उप-नियम (1) में, "50,000/-रुपए (पचास हजार रुपए)" शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर "1,00,000/-रुपए (एक लाख रुपए)" शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर रखे जाएंगे।

(2) उप-नियम (2) के खंड (1) से (5) तक के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) पहले वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए रु. 50/- (पचास)
(2) दूसरे वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए रु. 100/- (एक सौ)
(3) तीसरे वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए रु. 500/- (पांच सौ)
(4) चौथे वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए रु. 700/- (सात सौ)
(5) नवीकरण के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए रु. 1000/- (एक हजार)"

8. उक्त नियमों में, नियम 12 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक "साधारणतः 20 वर्ष किया जाएगा" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, तो वह पट्टे के लिए किसी आवेदन के संबंध में पूर्वोक्त क्षेत्र की बाबत, अधिसूचना द्वारा शर्त को शिथिल कर सकती है।"

9. उक्त नियमों के नियम 13 में:-

(क) उप-नियम (1) में:-

(1) खंड (क) में "1,00,000/-रुपए (एक लाख रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक के स्थान पर "2,00,000/-रुपए (दो लाख रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(2) खंड (ख) में अंक, शब्द और कोष्ठक "10,000/-रुपए (दस हजार रुपए)" के स्थान पर "30,000/-रुपए (तीस हजार रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ख) उप-नियम (2) के खंड (क) में "12.50 रुपए अंक और शब्द के स्थान पर 25.00 रुपए (पच्चीस रुपए) और 25.00 रुपए अंक और शब्द के स्थान पर 50.00 रुपए (पचास रुपए) रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों के नियम 14 के उप नियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (2) में:-

(1) "1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च,1993 तक चार सौ इक्यासी रुपए प्रति क्यूबिक टन अपरिष्कृत तेल और केसिंग शीर्ष कंडेनसेट तथा पट्टाधारी द्वारा अभिप्राप्त की गई प्राकृतिक गैस के कूपशीर्ष पर मूल्य का दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे:-

"समय-समय पर अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से खनन, उत्खनन, खुदाई या एकत्र करके निकाले गए खनिज तेल के संबंध में राजस्व। राजस्व का संदाय जैसा पट्टे में उपबंध किया गया हो उस आधार पर मासिक आधार पर किया जाएगा और जिस अवधि में यह संदेय है उस अवधि के पश्चात आने वाले माह की अंतिम तारीख तक इसका संदाय किया जाएगा।"

(2) *"कंडेनसेट, प्राकृतिक गैस" शब्दों के पश्चात् "कोल बेड मिथेन या हाइड्रेट से अभिप्राप्त गैस"* शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 15 में, "सर्वेक्षण या पुनर्सर्वेक्षण" शब्दों के पश्चात "10000/- रुपए (दस हजार रुपए) फीस या शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमों के नियम 17 में उपबंध को उप-नियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपबंध के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"परन्तु जहां अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी और केन्द्रीय सरकार के बीच किसी संविदा पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसमें यथास्थिति, अंतरण अथवा समनुदेशन वह संविदा के निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होगा और ऐसी संविदा में अधिकथित रीति से प्रभावी होगा।"

(2) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात एक नया उप-नियम (2) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् यथास्थिति अनुज्ञप्ति या पट्टा अंतरिती या समुनुदेशिती के नाम में अंतरण या समुनदेशन की सीमा तक अलग–अलग अथवा संयुक्त रूप में, उस तारीख से जिसको अंतरण या समुनदेशन हुआ हो, जारी किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 19 के खंड (क) और (ख) में "भूमि" शब्द के स्थान पर "क्षेत्र" शब्द रखा जाएगा।

14. उक्त नियमों के नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 19क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

**"19क प्राकृतिक गैस से हीलियम की प्राप्ति :**

(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई बात या अनुज्ञप्ति या पट्टा या संविदा के निबंधन, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी को उस हीलियम, जो प्राकृतिक गैस से उत्पादित की जा सकेगी, का उपयोग करने या विकय करने या अन्यथा व्ययन करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और अनुज्ञप्तिधारी (पट्टाधारी)

ऐसी हीलियम का व्ययन ऐसे निदेशों के अनुसार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या अभिकरण द्वारा इस निमित्त जारी किए जा सकेंगे,

(2) यदि केंद्रीय सरकार, प्राकृतिक गैस से हीलियम निकालने की वांछा करती है तो अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी केन्द्रीय सरकार को हीलियम प्राप्त करने संबंधी सक्रियाएं करने के लिए उपस्कर और उन्हें संस्थापित करने और उन्हें प्रचालित करने में समर्थ बनाने के लिए ऐसी सक्रियाओं के लिए अपेक्षित क्षेत्र तथा उपयोगिताएं केन्द्रीय सरकार के या इसके नाम निर्देशिती को उपलब्ध कराएगा और ऐसे मामले में अनुज्ञप्तिधारी, पट्टाधारी, अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी और केन्द्रीय सरकार/इसके नाम निर्देशिती, पारस्परिकतः तय पाई जाने वाली आंतरिक कंपनी लेखा पद्धतियों पर आधारित प्रतिकर के लिए हकदार होगा।"

15. उक्त नियमों के नियम 20 में:–

(i) उप–नियम (1) में "का कार्यकरण" शब्दों के पश्चात् , "भूमि" शब्द के स्थान पर "क्षेत्र" शब्द रखा जाएगा।

(ii) उप–नियम (2) में "भूमि" शब्द के स्थान पर "क्षेत्र" शब्द रखा जाएगा।

16. उक्त नियमों के नियम 21 में:–

(क) उप–नियम (1) में

(i) खंड (ख) और (ग) में "भूमि" शब्द के स्थान पर, "क्षेत्र" शब्द रखा जाएगा, अर्थात्:–

(ii) उप–नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:–

"(4) जहॉं केन्द्र सरकार ने अनुज्ञप्तिधारक के साथ कोई करार किया है तो अनुज्ञप्ति और पट्टा, यथास्थिति, ऐसी संविदा की समाप्ति या पर्यवसान पर स्वतः ही रद्द हो जाएगी।"

17. उक्त नियमों में, नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"22. **अनुज्ञप्ति या पट्टे के पर्यवसान पर परिसरों का परिदान** – (1) अनुज्ञप्ति के भागतः या पूर्ण रूप से पर्यवसान, या रद्द या त्यजन हो जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी पर्यवसान या रद्द या त्यजन के कारण निर्मुक्त हुए क्षेत्र को ऐसे पर्यवसान, या रद्द या व्यजन की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसे किसी भी विस्तारित समय के भीतर जिसकी अनुज्ञा, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति दे, क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार सही हालत में बनाने के बाद परिदान कर देगा।

(2) यदि पट्टाधारी खनन कार्य ज़ारी न रखने का विकल्प देता है या पट्टाकृत क्षेत्र का भागतः रूप से या पूर्ण रूप से परित्याग करने का विकल्प देता है या पट्टे का पर्यवसान किया जाना हो तो पट्टाधारी केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित त्याग योजना के अनुसार पट्टे के पर्यवसान या रद्द होने पर क्षेत्र को सही हालत में करने के पश्चात परिदत्त कर देगा। तथापि पट्टाधारी को, यथास्थिति आशयित त्यजन या पर्यवसान की तारीख से कम–से–कम एक वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए सभी कार्रवाई और उपाय समाविष्ट करते हुए एक परित्याग योजना सहित लिखित सूचना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

(3) इन नियमों के अधीन किसी खनन पट्टे के रद्द किए जाने पर पट्टेदार ऐसे पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को उसे परित्यजन योजना के अनुसार, जो स्थापित अन्तर राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार तैयार की गई हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, ठीक और पूर्ववत् स्थिति के आने के पश्चात परिदत किया जाएगा।

(4) किसी अनुज्ञप्ति या पट्टे के अवधारण या रदकरण या त्यजन पर, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति या पट्टे का धारक, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के समाधान प्रद रूप में मानव जीवन, सम्पत्ति, पर्यावरण, समुद्री संसाधनों या नौवहन के पारिणामिक परिसंकटों के निवारण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी अनुज्ञप्ति या पट्टाधृत क्षेत्र के पर्यवसान या रद्दकरण या त्यजन से पूर्व पेट्रोलियम, भंडार, उपस्कर, औजार और मशीनरी ऐसे क्षेत्र को पुनः सौंपने के छह मास के भीतर हटाएगा और उसका व्ययन करेगा।

(6) यदि ऐसा पेट्रोलियम, भंडार उपस्कर, औजार, मशीनरी और सुधार हटाए या व्ययन नहीं किए जाते और अनुज्ञप्ति या पट्टे के पर्यासान, त्यजन या रद्दकरण से पूर्व छह मास के भीतर वह क्षेत्र सही और ठीक स्थिति में नहीं लाया जाता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे पेट्रोलियम, भंडार उपस्कर, औजार, मशीनरी को हटाएगी और उसका व्ययन करेगी और क्षेत्र का अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी को जोखिम और लागत पर पुनरूद्धार करेगी।

(7) ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम, तब तक, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा धारित किए जाएंगे जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी द्वारा उनके लिए आवेदन नहीं किया जाता और अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता।"

18. उक्त नियमों के नियम 23 के उपनियम (1) में, "जिस माह या उसके भाग में ऐसी फीस, स्वामित्व या अन्य संदाय असंदत्त रहता है ऐसे प्रत्येक माह के लिए दस प्रतिशत" के स्थान पर "विलम्बित अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम उधारी दर पर 200(दो सौ) मूल प्वाइंट की शास्ति दर" शब्द रखे जाएंगे।

19. उक्त नियमों के नियम 24 के उपनियम (1) में खंड (क) में "भूमि" शब्द के स्थान पर "क्षेत्र" शब्द रखा जाएगा।

20. उक्त नियमों के नियम 25 में "प्राकृतिक गैस" शब्द के स्थान पर "तेल या गैस या कोल बेड मिथेन या गैस हाइड्रेट" शब्द रखे जाएंगे।

21. उक्त नियमों के नियम 27 में "प्राकृतिक गैस या दोनों" शब्दों के स्थान पर "तेल या, गैस या कोल बेड मिथेन या गैस हाइड्रेट से गैस" शब्द रखे जाएंगे।

22. उक्त नियमों के नियम 28 में (i) "या अनुज्ञप्तिधारी", (ii) "या अनुज्ञप्त", (iii) "अनुज्ञप्तिधारी या किसी अनुज्ञप्ति या पट्टे में जो क्षेत्र शामिल नहीं है", (iv) "या अनुज्ञप्तिधारी" शब्दों के पश्चात् कमशः (i) "पट्टेधारी द्वारा प्रचालित", (ii) "अनुज्ञप्त क्षेत्र की सीमा," (iii) "अन्य पट्टेधारी द्वारा" तथा (iv) "पट्टेधारी द्वारा अपेक्षित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

23. उक्त नियमों के नियम 29 में "स्तर वाली गैस या दोनों" शब्दों के स्थान पर "तेल वाली या दोनों या स्तर वाली गैस या कोल बेड मिथेन या हाइड्रेट वाली गैस" शब्द रखे जाएंगे।

24. उक्त नियमों के नियम 30 के खंड (vi) में "ऐसे निलंबन" शब्दों के पश्चात् "राज्य सरकार को सूचित करते हुए" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

25. उक्त नियमों के नियम 32 क में "नियम 14, नियम 19" शब्दों के पश्चात् , "नियम 21" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

26. उक्त नियमों के नियम 33 के उप नियम (घ) में "एक सरकार द्वारा नामित तथा दूसरा अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा नामित, दो मध्यस्थों द्वारा या मध्यस्थों में असहमति की दशा में मध्यस्थता की कार्यवाही आरम्भ होने से पहले अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में नियुक्त अधिनिर्णायक द्वारा निपटाया जाएगा। मध्यस्थ या अधिनिर्णायक यह भी निर्णय करेंगे कि कौन सा पक्ष मध्यस्थता के व्यय को वहन करेगा या क्या इस व्यय को दोनों पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा और यदि हां तो कितना–कितना वहन किया जाएगा। मध्यस्थ या अधिनिर्णायक, जैसी भी स्थिति हो, समय–समय पर संविदा के सभी कारों की सहमति से पंचाट तैयार करने में समय अवधि बढ़ा सकते हैं, परंतु यह तब जब कि ऊपर उल्लिखित माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध और उसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत नियम इस खण्ड के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही को लागू हों" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे: –

"माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम 1996 और तद्धीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों से कार्यवाहियों पर उसी प्रकार जैसे कि वे इन कार्यवाहियों पर लागू होते हैं, से सुलझाए जाएंगे।"

27. उक्त नियमों में एक नया नियम 35 निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"35. **कतिपय नियमों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति :**

(i) जहाँ ऐसा करना लोक हित में हो वहाँ केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा – 12 के

अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को नियम 6 (i) तथा (ii), नियम 11 के उपनियम (1) तथा (2) या नियम 13 के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(ii) केन्द्रीय सरकार, उप नियम (i) के अंतर्गत आनलैण्ड क्षेत्रों के संबंध में छूट मंजूर करने के मामले में, राज्य सरकार से परामर्श कर सकेगी।

[सं. ओ-22013/1/2001-ओ एन जी-III]

ज. मो. माऊसकर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2003

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by sections.5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (Act No. 53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend The Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, as amended from time to time, namely:-

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 (hereinafter to be referred as the said rules), in rule 3:

(i) clause (aa) shall be omitted;

(ii) after the clause so omitted, the following clauses shall be inserted, namely:

"(ab) 'coal bed methane' means natural gas obtained from bore holes occurring in coal or lignite seams and consisting primarily of hydrocarbons.

(ac) 'condensate' means those low vapour pressure hydrocarbons obtained from natural gas through condensation or extraction which are in the form of liquid at normal surface temperature and pressure conditions.

(ad) 'continental shelf' shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 as amended from time to time.

(ae) 'contract' means an agreement entered into between the Government of India and any other party in relation to exploration and exploitation of hydrocarbon and/or coal bed methane for relevant area.";

(iii) for clause(b), the following clause shall be substituted, namely:-

95461/03-2

"(b) 'crude oil' means petroleum in its natural state in liquid, viscous or solid form before it has been refined or otherwise treated from which water and foreign substances have been extracted.";

(iv) after clause (c) the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) 'exclusive economic zone' shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 as amended from time to time.";

(v) after clause (e) the following clause shall be inserted, namely:-

"(ea) 'gas hydrates' means naturally occurring solids composed of water molecules forming a rigid lattice of cages each containing a molecule of natural gas.";

(vi) after clause (g) the following clause shall be inserted, namely:-

"(ga) 'hydrocarbons' means any organic compound of hydrogen and carbon.";

(vii) for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) 'natural gas' or 'gas' means gas obtained from bore-holes and consisting primarily of hydrocarbons but does not include helium occurring in association with such hydrocarbons.";

(viii). for clause (qq) the following clause shall be substituted, namely:-

"(qq) 'territorial waters' shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 as amended from time to time."

3. In the said rules, in rule 5 sub-rule (1) clause (i), after the words "territorial waters or the continental shelf" the words "or the exclusive economic zone" shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 6 sub-rule (1):-

(i) in clause (i), for the figure and words "Rs.10,000/- (Rupees ten thousand)" the figure and words "Rs.25,000/- (Rupees twenty five thousand)" shall be substituted;

(ii) in clause (ii), for the figure and words "Rs.25,000/- (Rupees twenty five thousand)" the figure and words "Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand)" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 7:-

(i) in clause (i), for the word "land" the word "area" shall be substituted.

(ii) in clause (ii), for the word "land" the word "area" shall be substituted.

(iii) in sub-rule (2), after the word "plants" and "equipment" the word "platform" and the words "and other facilities" shall be inserted respectively.

6. In the said rules, in rule 10, after the words "one year each" the words "till the expiry of the exploration period(s) provided under the agreement if any, or unless otherwise specified by the Central Government in this regard." shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 11:-

(i) in sub-rule (1), for the figure and words "Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand)" the figure and words "Rs.1,00,000/- (Rupees one lakh)" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), the clauses (i) to (v), the following clauses shall be substituted respectively, namely:-

"(i) Rs.50 (Rupees fifty) for the first year license;
(ii) Rs.100 (Rupees one hundred) for the second year license;
(iii) Rs.500 (Rupees five hundred) for the third year license;
(iv) Rs.700 (Rupees seven hundred) for the forth year license;
(v) Rs.1000 (Rupees one thousand) for the each subsequent year of renewal."

8. In the said rules, in rule 12, after the words 'shall ordinarily be twenty years' the following provision shall be inserted, namely:-

"Provided that the Central Government may, if satisfied that it is necessary in public interest so to do, by notification, relax the condition regarding area aforesaid, in relation to any application for lease."

9. In the said rules, in rule 13:-

(a) in sub-rule (1):-
(i) in clause (a), for the figure and words "Rs.1,00,000/- (Rupees one lakh)" the figure and words "Rs.2,00,000/- (Rupees two lakh)" shall be substituted;
(ii) in clause (b), for the figure and words "Rs.10,000/- (Rupees ten thousand)" the figure and words "Rs.30,000/- (Rupees thirty thousand)" shall be substituted;

(b) in sub-rule(2) in clause (a), for "Rs.12.50" the "Rs.25.00" (Rupees twenty five) and for "Rs.25.00" the "Rs.50.00" (Rupees fifty) shall be substituted respectively.

**10.** In the said rules, in rule 14 sub-rule(1) clause (a) sub-clause (ii):-

(i) for the words "a royalty for the period beginning on the Ist day of April, 1990 and ending on 31st day of March, 1993, at the rate of four hundred and eighty one rupees per metric tonne of crude oil and casing head condensate and at ten percent of the value at wellhead of natural gas obtained by the lessee" the following shall be substituted, namely:-

"a royalty in respect of any mineral oil mined, quarried, excavated or collected by him from the leased area at the rate specified in schedule of the Act from time to time. The royalty shall be payable on monthly basis, as may be provided for in the lease and shall be paid by the last day of the month succeeding the period in respect of which it is payable.";

(ii) after the words "condensate, natural gas" the words "coal bed methane or gas obtained from gas hydrate" shall be inserted.

**11.** In the said rules, in rule 15, after the words "survey or re-survey" the words and figure "a fee of Rs.10,000/- (Rupees ten thousand) or" shall be inserted.

**12.** In the said rules, in rule 17, the provision shall be renumbered as sub-rule(1) and after the provision so renumbered the following proviso shall be inserted, namely:-

"provided that in case where a Contract has been signed between the licensee/lessee and the Central Government, the transfer or the assignment, as the case may be, shall be governed by the terms and conditions of the Contract, and will be effected in the manner laid down in such Contract."

(ii) After sub-rule (1) so renumbered a new sub-rule (2) shall be inserted as follows, namely:-

"(2) Upon receipt of the consent of the Central Government referred to in sub-rule (1) the license or lease, as the case may be, shall be issued in name of the transferee or the assignee, severally or jointly, to the extent of the transfer or the assignment, with effect from the date from which such transfer or assignment is made effective."

**13.** In the said rules, in rule 19, in clauses (a) and (b), for the word "land" the word "area" shall be substituted.

**14.** In the said rules, in rule 19, the following new rule 19A shall be inserted, namely:-

**"19A. Recovery of helium from natural gas** - (1) Nothing contained in these rules or the terms of a license or a lease or a contract will give right to a licensee or a lessee to use, sell or otherwise dispose of Helium which may be produced with natural gas and the licensee/lessee shall dispose of such helium in accordance with such directions as may be issued in this behalf by the Central Government or by an officer or an agency duly authorised for this purpose by the Central Government.

(2) If the Central Government desires to extract Helium from natural gas, the licensee/lessee, in order to enable the Government to install and operate equipment and facilities for carrying out helium recovery operations, shall make available to the Central Government or its nominee the area and utilities required for such operations and in such a case the licensee/lessee shall be entitled for compensation based on the internal company accounting practices to be mutually agreed between the licensee/lessee and the Central Government/its nominee."

15. In the said rules, in rule 20:-

(i) in sub-rule (1), after the words "the working of the" for the word "land" the word "area" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (2) for the word "land" the word "area" shall be substituted.

16. In the said rules, in rule 21:-

(a) in sub-rule(1)
(i) in clause (b) and (c) for the word "land" the word "area" shall be substituted.

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) Where the Central Government has entered into an agreement with the licensee, license and the lease as the case may be shall automatically stand cancelled upon the expiry or termination of such contract."

17. In the said rules, for rule 22, the following rules shall be substituted, namely:-

"22. **Delivery of premises upon determination of license or lease** - (1) Upon determination or cancellation or relinquishment in part or in full of a license, the licensee shall deliver the area released on account of the determination or cancellation or relinquishment after restoring it in good order and condition in accordance with international practices within six months from the date of such determination or cancellation or relinquishment, or within such further time as the Central Government or the State Government, as the case may be, may allow.

(2) In the event of lessee opting not to continue mining operations and opts to relinquish the leased area in part or in full, or a lease is to be determined, the lessee shall deliver up the area released by such relinquishment or determination of lease after restoring it in good order and condition in accordance with the abandonment plan approved by the Central Government. However, lessee shall have to give prior written notice of at least one year before the date of intended relinquishment or determination as the case may be, to the Central Government along with an abandonment plan incorporating all actions and steps necessary to restore the area in accordance with international practices, for approval of the Central Government.

(3) Upon cancellation of a mining lease under these rules, the lessee shall deliver up the area covered by such lease after restoring it in good order and condition in accordance with an abandonment plan, prepared in accordance with established international practices and approved by the Central Government.

(4) Upon determination or cancellation or relinquishment of a license or a lease, the holder of such license or lease, as the case may be, shall take all necessary steps to prevent consequent hazards to human life, property, environment, marine resources or navigation, to the satisfaction of the Central Government or the State Government as the case may be.

(5) The licensee or lessee shall, prior to the determination or cancellation or relinquishment of licensed or leased area, remove and dispose of any petroleum, stores, equipment, tools, machinery from such area within six months of handing over the area.

(6) If such petroleum, stores, equipment, tools, machinery and improvements are not removed or disposed off and the area restored to good order and condition within six months prior to the determination, relinquishment or cancellation of the license or lease, the Central Government or the State Government as the case may be, shall proceed with the removal and disposal of such petroleum, stores, equipment, tools, machinery and restore the area at the risk and cost of the licensee or lessee.

(7) The net proceeds of such sale shall be held by the Central Government, or the State Government, as the case may be, until applied for and obtained by the licensee or the lessee."

**18.** In the said rules, in rule 23 sub-rule (1), for the words "ten percent for each month or portion of a month during which such fees, royalties or other payments remain unpaid" the words "a penal rate of 200 (two hundred) basis points over the prime lending rate of State Bank of India for the delayed period." shall be substituted.

**19.** In the said rules, in rule 24, sub-rule (1) in clause (a), for the word "land" the word "area" shall be substituted.

**20.** In the said rules, in rule 25, for the words "natural gas" the words "oil or gas or coal bed methane or gas hydrate" shall be substituted.

**21.** In the said rules, in rule 27, for the words "natural gas or both" the words "or oil or gas or coal bed methane or gas from gas hydrate" shall be substituted.

**22.** In the said rules, in rule 28, the words (i) "or licensee", (ii) "or licensed", (iii) "or licensee or into areas not covered by any license or lease" and (iv) "or licensee" shall be inserted after the words (i) "operations by a lessee", (ii) "boundary of the leased", (iii) "by other lessees" and (iv) "require the lessee" respectively.

23. In the said rules, in rule 29, for the words "gas bearing strata or to both" the words "oil bearing or to both or gas bearing or coal bed methane bearing or gas hydrate bearing strata" shall be substituted.

24. In the said rules, in rule 30 clause (vi), after the words "such suspension" the words "under intimation to the State Government" shall be inserted.

25. In the said rules, in rule 32A, after the words "Rule 14, Rule 19," the words "Rule 21" shall be inserted.

26. In rule 33 after sub-rule (d) of the said rules, for the words "shall be settled by two arbitrators, one to be nominated by the Government and the other by the licensee or lessee; or, in case of disagreement between the arbitrators, by an umpire appointed by the arbitrators by writing under their hands before proceeding with arbitration. The arbitrators or the umpire shall also determine which party shall bear the expenses of the arbitration or whether such expenditure shall be divided between the two parties and if so, in what proportion. The arbitrators or the umpires, as the case may be, may from time to time, with the consent of all the parties to the contract, enlarge the time, for making the award, subject as aforesaid, the provisions of the Arbitration Act, 1940 and the rules thereunder for the time being in force shall applied to the arbitration proceedings under this clause" the following shall be substituted:-

"shall be settled through arbitration and conciliation proceedings under the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the rules made thereunder as are applicable to such proceedings."

27. In the said rules, the new rule 35 shall be inserted as follows, namely:-

"35. **Power to exempt from operation of certain rules:**

(i) The Central Government may grant exemption under Section 12 of the said Act, subject to specified conditions to a licensee or lessee from the provisions of Rule 6(i) and (ii), Rule 11 sub-rules (1) and (2) or Rule 13, where it is in the public interest to do so.

(ii) The Central Government, may consult the State Government in the matter of granting exemptions in respect of onland areas under sub-rule(i).

[No. O-22013/1/2001-ONG-III]

J. M. MAUSKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.